



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936

No. 64]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015/PHALGUNA 6, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 03)

सं. 116-19/2014-एनएसएल-2.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा (2015 का 03)।
(2) ये विनियम, 3 मई, 2015 से लागू होंगे।
2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (जिसे आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में —
(क) खंड (क) में “एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस” शब्दों के बाद “या एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा) या एकीकृत लाइसेंस, जिसके तहत एक्सेस सेवा उपलब्ध कराने का प्राधिकार है” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) खंड (अ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः:
“(अक) “मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जोन” या “एमएनपी जोन” का आशय मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा हेतु लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक (VI) में अंतर्निहित जोनों से है;”
(अख) “मोबाइल नम्बर रेंज” का आशय लाइसेंसर द्वारा एमएनपी जोन में एक्सेस प्रदाता को आवंटित मोबाइल सीरीज से है;
3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) को हटाया जाएगा;
4. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (6) में —
(क) “संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता” शब्दों को “एमएनपी जोन के मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, जिससे पोर्टिंग होने वाले नम्बर से संबंधित मोबाइल नम्बर रेंज होल्डर संबंध रखता है” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) प्रथम परंतुक में “मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता” शब्दों के पश्चात “एमएनपी जोन, जिससे पोर्टिंग होने वाले नम्बर से संबंधित मोबाइल नम्बर रेंज होल्डर संबंध रखता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

5. मूल विनियमों के विनियम 11 में उप-विनियम (1) में खंड (ग) हेतु परंतुक में “परंतु यह कि” शब्दों के बाद “से संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक के मामले में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. मूल विनियमों के विनियम 12 के खंड (घ) को हटाया जाएगा।
7. मूल विनियमों के विनियम 14 में —
 - (क) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—
“परंतु यह कि बकाया बिल में उल्लिखित भुगतान की अंतिम तारीख से तीस दिनों के बाद कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा”,
 - (ख) उप-विनियम (5) में “दाता प्रचालक” शब्दों के बाद “तीस दिनों के अंदर” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,
 - (ग) उप-विनियम (5) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा—
“परंतु यह कि बकाया बिल में उल्लिखित भुगतान की अंतिम तारीख से साठ दिनों के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्ट किए गए नंबर के विच्छेदन के लिए कोई सूचना नहीं देगा”;
8. मूल विनियमों के विनियम 15 में,—
 - (क) उप-विनियम (3) में,—
 - (i) “संबंधित सब्सक्राइबर को” शब्दों के बाद और “एक नोटिस” शब्दों के पहले “पन्द्रह दिनों की अवधि का” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,
 - (ii) “जिसकी अवधि, सात दिनों से कम और पन्द्रह दिनों से अधिक नहीं होगी” शब्दों को हटाया जाएगा,
 - (ख) उप-विनियम (4) को निम्नलिखित उप-नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
“(4) यदि सब्सक्राइबर उप-विनियम (3) के तहत जारी नोटिस में दी गई समय-सीमा के अंदर दाता प्रचालक के बकायों के भुगतान का साक्ष्य देने में विफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर के मोबाइल नंबर पर, सेवा प्रदाता के लाइसेंस अनुबंध में यथा-निर्दिष्ट आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, सभी आउटगोइंग सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा :
परंतु यह भी कि यदि सब्सक्राइबर आउटगोइंग सेवाओं को विच्छेदित करने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर दाता प्रचालक को किए गए भुगतान के संबंध में प्राप्तकर्ता प्रचालक को साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, तो सब्सक्राइबर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से पुनः शुरु कर दी जाएंगी :
परंतु यह भी कि यदि पहले परंतुक के अनुसार, सब्सक्राइबर भुगतान करने में विफल रहता है तो प्राप्तकर्ता प्रचालक सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर विच्छेदित कर देगा तथा की गई कार्रवाई के बारे में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता इस अनुरोध के साथ कि ऐसे नम्बर को साठ दिनों के बाद नम्बर रेंज होल्डर को वापिस करें, सूचित करेगा।
 - (ग) उप-विनियम (5) में “नब्बे दिनों” शब्दों को “साठ दिनों” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/142/असा./14]

टिप्पणी 1 : मूल विनियमों को दिनांक 23 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन(खंड-II) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया एवं निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया है:—

- (क) दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 1)
- (ख) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 5)
- (ग) दिनांक 08 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)
- (घ) दिनांक 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 19)
- (ङ) दिनांक 22 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 116-4/2013 (2013 का 09)

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन, इस विनियम के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को कार्यान्वित करने के लिए मूलभूत व्यापारिक प्रक्रिया के तंत्र के क्रियान्वयन को निर्धारित करते हुए 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया। इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 प्राधिकरण के 18 जनवरी, 2011 के निदेश के माध्यम से 20 जनवरी, 2011 को देशभर में सभी दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में लागू किए गए।

2. अब सरकार ने अंतर-सेवा क्षेत्र मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) लागू करने का निश्चय किया है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग के दिनांक 03 नवंबर, 2014 के पत्र संख्या 800-22/2013-एस-2 के द्वारा एमएनपी सेवा लाइसेंस में जरूरी संशोधन जारी किए गए, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उक्त संशोधन से छह माह की अवधि के अंदर देश में पूर्ण एमएनपी लागू की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण ने 23 जनवरी, 2015 को ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (छठा संशोधन), 2015 जारी किया था, जिसके तहत देश में पूर्ण एमएनपी को सुगम बनाने के लिए एमएनपी विनियमों के संबंध में पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। इसके अलावा, ड्राफ्ट संशोधनों में मोबाइल नंबर विद्यमान पोर्टिंग प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी किए गए, जैसे वापसी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा में कमी करने, गैर-भुगतान विच्छेदन के मुद्दे आदि।
3. ड्राफ्ट संशोधन के प्रत्युत्तर में, पन्द्रह पणधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। प्राधिकरण द्वारा इन टिप्पणियों की जांच पड़ताल की गई और विचार-विमर्श के बाद, एमएनपी विनियमों का छठा संशोधन जारी किया जा रहा है। विनियमों में किए गए संशोधनों से संबंधित स्पष्टीकरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा

4. एमएनपी सेवा लाइसेंस में दूरसंचार विभाग के संशोधन के अनुसार, पूर्ण एमएनपी (अंतर और अंतः लाइसेंस सेवा क्षेत्र एमएनपी) को लाइसेंसों में उक्त संशोधन की तारीख से छः माह के अंदर क्रियान्वित किया जाएगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने एमएनपी विनियमों में छठा संशोधन किया है, जो कि 03 मई, 2015 से प्रभावी होगा।

प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को अग्रेषित करना

5. सब्सक्राइबर द्वारा अपने नम्बर को पोर्टिंग करने के अनुरोध किए जाने पर, प्राप्तकर्ता प्रचालक (आरओ) पोर्टिंग अनुरोध को उस एमएनपी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) को भेजेगा, जिससे नंबर रेंज होल्डर (सेवा प्रदाता, जिसने मोबाइल नंबर मूल रूप से आंबटित किया था) संबंधित है। यदि एक सब्सक्राइबर अपने मोबाइल को एक एमएनपी जोन से दूसरे एमएनपी जोन में पोर्ट करता है, तो भी वही एमएनपीएसपी सभी अनुवर्ती पोर्टिंग के लिए उनके पोर्टिंग अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्सक्राइबर की पोर्टिंग हिस्ट्री उस एमएनपी जोन के एमएनपीएसपी द्वारा रखी जाती है, जहां का उसका नंबर रेंज होल्डर होता है।

गैर-भुगतान विच्छेदनों के संबंध में दाता प्रचालक के लिए समय-सीमा

6. एमएनपी विनियम प्रावधान करता है कि यदि एक पोस्ट पेड सब्सक्राइबर द्वारा दाता प्रचालक (डीओ) के देय भुगतान में चूक की जाती है तो, दाता प्रचालक द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को पोर्टेड मोबाइल नम्बर को विच्छेदित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। कई मामलों में यह पाया गया है कि दाता प्रचालक (डीओ) द्वारा, सब्सक्राइबरों के नम्बर पोर्ट किए जाने के लम्बे समय के उपरान्त विच्छेदन हेतु अनुरोध (लम्बित बिलों के गैर-भुगतान के कारण) किया जाता है। अतः, ऐसे मामलों में अनुशासन लाने की आवश्यकता है ताकि गैर-भुगतान विच्छेदनों के मामलों का ऐसे दाता प्रचालक (डीओ) तथा प्राप्तकर्ता (आरओ) द्वारा, सब्सक्राइबर को बाद की असुविधा से बचाने के लिए, समय पर निबटारा किया जा सकें। तदनुसार, इस संशोधन में, दाता प्रचालक के लिए उस सब्सक्राइबर, जिसने भुगतान नहीं किया है, को गैर-भुगतान संबंधी नोटिस भेजने के संबंध में बकाया बिल की देय तारीख से तीस दिनों की समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बकाया बिल की देय तारीख से साठ दिनों के बाद, दाता प्रचालक एमएनपी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्तकर्ता प्रचालक को कोई गैर-भुगतान विच्छेदन अनुरोध प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा।

प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदन के लिए नोटिस अवधि को बढ़ाना

7. ड्राफ्ट संशोधन के उत्तर में, अधिकांश पणधारकों ने अनुरोध किया है कि प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर, जिसने दाता प्रचालक के बिलों का भुगतान नहीं किया है, को दिए जाने वाले नोटिस की अवधि को मौजूदा पन्द्रह दिनों से बढ़ाकर तीस दिन किया जाए। परीक्षण के उपरान्त, प्राधिकरण इस समय अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत है। परंतु ऐसे चूककर्ता सब्सक्राइबरों की ओउटगोईंग सेवा को पन्द्रह दिनों के लिए बंद करने का प्रावधान किया गया है, ताकि सब्सक्राइबर दाता प्रचालक (डीओ) को लम्बित धनराशि का भुगतान करने हेतु प्रेरित कर सकें। इसके अलावा, विस्तारित समय-सीमा बढ़ाने से, अंतर-सेवा क्षेत्र पोर्टिंग सब्सक्राइबरों, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर को किसी अन्य सेवा क्षेत्र से पोर्ट कराया है, में संबंधित बकाया धनराशि का निपटान करने के लिए उपयोगी होगी। यदि सब्सक्राइबर पन्द्रह दिनों के अंदर भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक (आरओ) द्वारा उसके मोबाइल नम्बर को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा साठ दिनों के पश्चात, उक्त नम्बर, नम्बर रेंज होल्डरों को वापिस कर दिया जाएगा।

नंबर वापसी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा में कमी करना

8. विद्यमान एमएनपी विनियमों में, प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क में मोबाइल नंबर के विच्छेदन के मामले में, यह अधिदेशित किया गया है कि ऐसा मोबाइल नंबर, नब्बे दिनों के बाद, नंबर रेंज होल्डरों को वापस किया जाएगा। इसका आशय यह है कि ऐसा मोबाइल नंबर विच्छेदित होने पर, नब्बे दिनों तक अनुपयोगी रहता है। ऐसे मोबाइल नंबर के प्रभावी उपयोग के लिए, प्राधिकरण ने इस समय सीमा को घटा कर अब साठ दिन कर दिया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2015

**TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY (SIXTH AMENDMENT)
REGULATIONS, 2015 (03 of 2015)**

No. 116-19/2014-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Sixth Amendment) Regulations, 2015 (03 of 2015)
 - (2) They shall come into force on the 3rd day of May, 2015
2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (hereinafter referred to as the principal regulations):—
 - (a) in clause (a), after the words “Unified Access Service licence, the words “or Unified licence (access service) or unified licence having authorization to provide access service” shall be inserted;
 - (b) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - “(ja) “Mobile Number Portability zone” or “MNP zone” means the zones contained in the Annexure-VI of the licence agreement for the Mobile Number Portability Service ;”
 - (jb) “mobile number range” means the number series allocated by the licensor to an Access Provider in an MNP zone;
3. In regulation 3 of the principal regulations, sub-regulation (1) shall be deleted
4. In regulation 8 of the principal regulations, in sub-regulation (6) —
 - (a) for the words “concerned Mobile Number Portability service provider”, the words “Mobile Number Portability Service Provider of MNP zone to which the mobile number range holder of number under porting belongs” shall be substituted;
 - (b) in the first proviso, after the words “the Mobile Number Portability Service provider”, the words “of MNP zone to which the mobile number range holder of the number under porting belongs” shall be inserted.
5. In regulation 11 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in the proviso to clause (c), after the words “provided that in”, the words “case the Recipient Operator belongs to” shall be inserted.
6. In regulation 12 of the principal regulations, the clause (f) shall be deleted.
7. In regulation 14 of the principal regulations, —
 - (a) after the sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that no notice shall be given after thirty days from the last date of payment mentioned in the outstanding bill”;
 - (b) in sub-regulation (5), after the words “the Donor Operator shall communicate” the words “within thirty days” shall be inserted;
 - (c) after sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that no communication for disconnection of ported number shall be given to the Mobile Number Portability Service Provider after sixty days from the last date of payment mentioned in the outstanding bill”.

8. In regulation 15 of the principal regulations,—

(a) in sub-regulation (3),—

(i) after the words “a notice” and before the words “ to the concerned subscriber”, the words “ of fifteen days” shall be inserted;

(ii) the words “the period of which shall be not less than seven days and not more than fifteen days, ” shall be deleted;

(b) for sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(4) In case, the subscriber fails to provide evidence of having settled the outstanding dues with the Donor Operator within the time so allowed in the notice under sub-regulation (3), the Recipient Operator shall immediately bar all outgoing services on the mobile number of such subscriber except accessibility to emergency services as specified in the licence agreement of the service provider;

Provided that if the subscriber furnishes evidence to the Recipient Operator regarding payment made to the Donor Operator, within fifteen days from the date of barring of outgoing services, the services of the subscriber shall be restored with immediate effect;

Provided further that, in case the subscriber fails to make payment referred to in the first proviso, the Recipient Operator shall disconnect the mobile number of the subscriber and inform the Mobile Number Portability Service Provider of the action taken by it with request for reversal of such number to the Number Range Holder after expiry of sixty days.”;

(c) in sub-regulation (5), for the words “ninety days”, the words “sixty days” shall be substituted.

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./142/14]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, Section 4 *vide* notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II) dated 23rd Sept. 2009 and amended *vide*:

- a) Notification no. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
- b) Notification no. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
- c) Notification no. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)
- d) Notification no. 116-5/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012)
- e) Notification no. 116-4/2013 dated 22nd July, 2013 (9 of 2013)

Note 2: The explanatory memorandum explains the objects and reasons of these regulations

Explanatory Memorandum

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of intra-circle mobile number portability in the country. The regulation 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of the Regulations came into effect in all telecom service areas in the country from 20th January, 2011 through the Authority’s direction dated 18th January, 2011.
2. Now the Government has decided to implement inter-service area mobile number portability (Full Mobile Number Portability). Accordingly, necessary amendments to the MNP service license were issued by the Department of Telecommunications (DoT) through letter No. 800-22/2013-AS-II dated 3rd November, 2014 wherein it is stated that Full MNP would be implemented in the country within six months from the said amendment. In this context the Authority issued a draft The Telecommunication Mobile Number Portability (Sixth Amendment), 2015 on 23rd January, 2015 seeking comments of stakeholders for facilitating Full MNP. In addition, the draft amendments also proposed some changes to the existing porting process viz. reduction in timelines for number return process, refining non-payment disconnection issues etc.

3. In response to the draft Amendment, fifteen stakeholders submitted their comments. These comments have been examined by the Authority and, after deliberations, this Sixth Amendment to the MNP Regulations is being issued. The explanation for the amendments made in the Regulations is provided in the following paragraphs.

Time period for implementation

4. As per the DoT's amendment to the MNP service licence, full MNP (inter and intra Licensed Service Area MNP) is to be implemented within six months from the date of the said amendment to the Licenses. Accordingly, the Authority has made the Sixth Amendment to the MNP Regulations effective from 3rd May 2015.

Forwarding of porting request by the Recipient Operator

5. On a request by a subscriber for porting of his number, the Recipient Operator (RO) will forward the porting requests to the MNP Service provider (MNPSP) to which the number range holder (service provider who originally allocated the mobile number) belongs. Even if a subscriber ports his mobile number from one MNP Zone to another, the same MNPSP will continue to handle his porting requests for all subsequent portings. This is required as the porting history of the subscriber is maintained by the MNPSP of the MNP zone to which his number range holder belongs.

Time period for Donor Operator to raise non-payment disconnections:

6. The MNP Regulations provide that in case a post paid subscriber defaults in the payment which was due to the Donor Operator (DO), the DO may request the RO for disconnection of the ported mobile number. It is noticed that in many cases, the DO raises disconnection requests (due to non-payment of outstanding bill) long after the subscriber has ported his number. Therefore, there is a need to bring order in this matter so that non-payment disconnection cases are settled in a timely manner by the Donor as well as the RO to avoid any inconvenience to the subscriber at a later date. Accordingly, in the Amendment, time period of 'thirty days' from the due date of the outstanding bill has been specified for a DO to raise the non-payment notice to the subscriber who has defaulted in the payment. It is also stipulated that after completion of 'sixty days' from the due date of payment of the outstanding bill, the DO will not be entitled to raise non-payment disconnection requests to the RO through the MNP service provider.

Increase in Notice period for disconnection by the RO

7. In response to the draft Amendment, most stakeholders have requested for increase in the notice period given by the RO to the subscriber who has defaulted in the payment to the DO from the existing fifteen days period to thirty days. After examination, the Authority has agreed to increase the time period. However, provision has been made for barring outgoing services of such defaulting subscriber for fifteen days, so as to prompt the subscriber to pay the outstanding amount due to the DO. Further, the extended period will also help inter-service area porting subscribers who may have to settle outstanding payments of a different service area from where the subscriber ported his mobile number. In case the subscriber fails to make payment within fifteen days, his mobile number will be disconnected permanently by the RO and number will be returned to the number range holder after sixty days.

Reduction in timelines for Number return process

8. In the existing MNP Regulations, in case of disconnection of a mobile number in the network of RO, it is mandated that such mobile number will be returned to the number range holder after the expiry of ninety days. This implies that once a mobile number is disconnected, it remains unutilized for as long as ninety days. For effective utilization of such a mobile number, the Authority has reduced this time period to sixty days.